



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268706
CG-DL-E-22122025-268706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5728]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28 1947

No. 5728]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5925(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4980(अ) तारीख 03 नवम्बर 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में NH-130एके कि.मी.70.200 से कि.मी.106.360 (कोरबा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08 नवम्बर 2025" को "नवभारत" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 130ए के कि.मी.70.200 से कि.मी.106.360 (कोरबा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: कोरबा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोरबा					
गांव का नाम: चचिया					
1	1081/3	निजी (निजी)	कृषि	0.0203	ज्ञान सिंह पिता कार्तिकराम 1081/3
2	726/1	निजी (निजी)	कृषि	0.032	रंगलाल, सुकांती, उषा, लकेश्वरी पिता जयलाल, कचरा बाई पति स्वर्गीय जयलाल, गजेंद्र प्रसाद पिता स्वर्गीय दामोदर, राजेन्द्र प्रसाद, केशव प्रसाद, जयकुंवर, मनकुंवर, मनकुनाई, ननकुंवर पिता स्वर्गीय दामोदर, इतवारी बाई बेवा दामोदर 726/1
3	726/3	निजी (निजी)	कृषि	0.025	बुधियारम पिता शिवलाल, सुंदरमोती पति शिवलाल 726/3
4	726/5	निजी (निजी)	कृषि	0.012	नत्थुराम पिता सिरधर 726/5
5	727/1	निजी (निजी)	कृषि	0.028	योगेंद्र, प्रभा, वसुंधरा पिता रामप्रसाद, जगनकुंवर बेवा रामप्रसाद, रामचरण, मदन मोहन आय कुमार पिता घासीराम, दुखी बाई, दूजकुंवर पिता मयाराम 727/1

गांव का नाम: चितापाली					
6	519/1	निजी (निजी)	कृषि	0.069	पवन सिंह कंवर, हेमन सिंह कंवर, गीता, धनसाय 519/1
तालुक का नाम: करतला					
गांव का नाम: कोटमेर					
7	372/3	निजी (निजी)	कृषि	1.32	आनंदराम, संतराम, अचंभराम, मंगलासोबाई, तुलसीबाई पिता सुकलाल, समेलाल, विश्वनाथ, नाबालिग रुकमणी, नाबालिग नागमनी पिता पंचराम, कंचन कुंवर पति पंचराम, घसिया पिता मुडिया, केसल सिंह, केसलो, मउहाबाई पति ननकी, नाबालिग शंकरलाल, नाबालिग संगीता, नाबालिग देवलाल पति यादराम, फिर कुंवर पति यादराम, भागेशिंह, संतोष पिता सुखसिंह, लेखराम, संझई पिता अवधराम 372/3
Total				1.5063	

[फा. सं. NHAI/LA/27011/03/Notif.-CG/Bilaspur/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O.5925(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4980(E) Dated:03 November 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-130A in the stretch of land from Km.70.200 to Km.106.360 (Korba) in the District of Korba in the State of Chhattisgarh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Navbharat” and “Times of India” both Newspaper dated 08 November 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-130A in the stretch of land from Km.70.200 to Km.106.360 (Korba) in the District of Korba in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: KORBA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Korba					
Village: Chachiya					
1	1081/3	Private	Agriculture	0.0203	Gyan Singh son of Kartikram 1081/3
2	726/1	Private	Agriculture	0.032	Ranglal, Sukanti, Usha, Lakeshwari daughter of Jaylal, Kachra Bai widow of Jaylal, Gajendra Prasad son of late Damodar, Rajendra Prasad, Keshav Prasad, Jaikunwar, Mankunwar, Mankunai, Nankunwar son of late Damodar, Itwari Bai widow of Damodar 726/1
3	726/3	Private	Agriculture	0.025	Budhiyaram son of Shivilal, Sundermoti wife of Shivilal 726/3
4	726/5	Private	Agriculture	0.012	Natthuram son of Sirdhar 726/5
5	727/1	Private	Agriculture	0.028	Yogendra, Prabha, Vasundhara daughter of Ramprasad, Jagankunwar widow of Ramprasad, Ramcharan, Madan Mohan Aay Kumar Son of Ghasiram, Dukhi Bai, Doojkunwar daughter

					of Mayaram 727/1
Village: Chitapali					
6	519/1	Private	Agriculture	0.069	Pawan Singh Kanwar, Heman Singh Kanwar, Geeta, Dhansaay 519/1
Taluk: Kartala					
Village: Kotmer					
7	372/3	Private	Agriculture	1.32	Anandram, Santram, Achambhram, Manglasobai, Tulsibai daughter of Suklal, Samelal Vishwanath, Minor Rukmani, Minor Nagmani son of Punchram, Kanchan Kunwar wife of Punchram, Ghasiya son of Mudiya, Kesal Singh, Keslo, Mauhabai wife of Nanki, Minor Shankerlal, Minor Sangeeta, Minor Devlal wife of Yaadram, Fir Kunwra wife of Yaadram, Bhaagesingh, Santosh son of Sukhsingh, Lekhram, Sanjhai son of Awadhram 372/3
Total				1.5063	

[F. No. NHAI/LA/27011/03/Notif.-CG/Bilaspur/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director